बउनवान .... बनाम ....

धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8/7/25 –	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित । पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी । पत्रावली पूर्वदत दिनांक 28/8/25 को पेश हो । [signature]
28/8/25 –	पत्रावली पेश हो वकील फरीकान उप० हो मिसल वास्ते बहस में प्रा० दिनांक 16/9/25 को पेश हो [signature]
16/09/25	पत्रावली पेश हुई/ वकील प्रार्थी उपस्थित/ प्रार्थना पत्र पर बहस हुई/ प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन इस आधार पर किया कि विवादित आराजी पूर्व में प्रार्थी के पिता के नाम गैर-खातेदारी में दर्ज थी तथा भू-प्रबंध विभाग द्वारा इसे सिवायचक दर्ज कर दिया गया/ अतः यह भूमि प्रार्थी की अधिकार की है तथा वह इस पर काबिज है/ बहस पर मनन किया/ वर्तमान में भूमि सरकारी खाते में दर्ज है तथा यह किस प्रकार दर्ज हुई यह विचारण का व साक्ष्य का बिंदु है जिसे प्रार्थना पत्र के Summary Trial से Decide नहीं किया जा सकता/ इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है/ प्रार्थी यह भी दर्शाने में विफल रहा है कि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने की स्थिति में उसे ऐसी अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना है क्योंकि भूमि सिवायचक होने के कारण इस पर खुर्द-बुर्द

.... बनाम ....

.... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
	की संभावना अत्यंत नगण्य है तथा सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है क्योंकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से प्रार्थी को हुई असुविधा की मात्रा अप्रार्थी को हुई असुविधा की मात्रा की तुलना में कम है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से राज्य सरकार को राजस्व में हानि होने की संभावना है क्योंकि प्रथम दृष्टया पत्रावली से यह प्रतीत है कि वर्तमान में प्रार्थी द्वारा धारा 91, LR Act, 1956 के तहत शास्ति का भुगतान किया जा रहा है जो कि राजस्व से अर्जित आय है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। फैसला सरे इजलास में सुनाया गया। [signature]	